11718

## in when !

२८६४ र्वेश आवर : न्या परिवहन तवा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) १६४८-४६ के विसीय वर्ष में मध्य प्रदेश के कितने स्थानों में टेलीफोन लगाने का विचार है: भीर
  - (स्त) उन स्थानों के नाम क्या हैं?

परिवहन तथा संचारं मंत्रीः (भी स॰ का॰ पाहिल): (क) भीर (स). इस सम्बन्ध में एक विवरण-पत्र लोक-सभा पटल पर रख दिया गया है। [देखिये परि-शिष्ट ८, प्रमबन्ध संस्था ३७]

#### Telephone Connections

2865. Shri Manaen: Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state:

- (a) whether a large number oi applications for telephone connections are pending for a long time in districts of Darjeeling and Siliguri;
  - (b) if so, the reasons therefor;
- (c) whether outlying areas in Darjeeling are not given telephone con nections unless heavy charges paid; and
  - (d) if so, the reasons therefor?

The Minister of Transport and Communications (Shri S. K. (a) 330 applications are pending Darjeeling and Siliguri Districts.

- (b) Lack of spare capacity in the Telephone Exchanges.
- (c) At Darjeeling, telephones located within a radial distance of miles from the exchanges are charged at Rs. 288 per annum. For distances exceeding 3 miles but not exceeding 4 miles additional charge of Rs. 38 per annum, is levied for every half mile or part thereof. For distances exceeding 4 miles rent is charged at special rates worked out on the cost involved in giving the connection.

(d) Normally in an exchange area most of the telephone subscribers are situated within a radial distance of 3 miles or at the most 4 miles. construction costs involved for giving connections get distributed. The rates upto a distance of 4 miles from the exchange have thus been fixed on an average basis. For longer distances special construction has to be undertaken for individual subscribers and charges have consequently to be regulated in accordance with the penditure incurred for a particular connection.

### रेलीं में भव्हाबार

२८६६. भी लच्छी राम: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) १ ग्रप्रैल, १६४८ को रेलों में भ्रष्टाचार दूर करने के लिये कितने व्यक्ति लगे हए थे भीर उनके वेतनों तथा भत्तों. भादि के रूप में कितना वार्षिक व्यय हम्रा:
- (स) १६५७-५८ में इस विभाग ने भ्रष्टाचार के किसने मामले पकडे:
- (ग) उनमें से कितने भ्रपराधियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये:
- (घ) कितने मामलों में भ्रपराधियों को सजाहई:
- (इ) कितने व्यक्ति ग्रदालत द्वारा छोड दिये गये:
- (च) कितने मामले घब भी घदालतों में विचाराधीन हैं; भौर
- (छ) उपरोक्त भाग (स) के उत्तर में बताये गये मामलों में से कितने मामले धर्ध-कारियों द्वारा स्वयं पकड़े गये तथा कितने इसरों की सुचना पर पकडे गये ?

2

रेसचे उपमंत्री (श्री साहनवाच चा) : (क) ३४३ घादमी लगे हुए ये जिनपर सालाना चर्च =,३३,४७३ रुपये हुग्रा ।

- (स) २४८८
- (ग) ২০
- (**च**) २२
- (E) \$
- (च) २७
- (छ) २१७६ मामसे दूसरों की सूचना पर पकडे गये।

## उत्तर प्रदेश और बिहार की चीनी मिलें

२८६७. श्री खुशवक्त राय : वया साग्र तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) उत्तर प्रदेश तथा बिहार की किन-किन चीनी मिलों के क्षेत्र में गन्ने की फसल खड़ी है;
- (ख) गन्ने की खड़ी फसल की पेराई कब तक पूरी हो जायेगी ; श्रीर
- (ग) क्या प्र मई, १६५८ से पहले गन्ने की खड़ी फसल की पेराई को पूरा करने के कोई प्रयत्न किये जा रहें हैं?

काथ तथा कृषि मंत्री (भी का प्रव जैन): (क) मीर (ख). उत्तर प्रदेश भीर बिहार की निम्नलिखित १३ चीनी मिलों के क्षेत्र में गन्ने की फसल खड़ी है। पेराई समाप्ति की सम्भावित तारीख प्रत्येक के सामने ग्रंकित है:

#### १ उत्तर प्रवेश

 १
 गोलागोकरतनाथ
 २८-४-१६५८

 २
 मृहीउद्दीनपुर
 २८-४-१६५८

 ३
 पिपराइच
 ३०-४-१६५८

 ४
 सुद्रवाल
 १-५-१६५८

 ४
 सम्भावती
 २-५-१६५८

Ę	पीत्रीमीत	४-५-१६५८
૭	डोईवाला	५–५–१६५व
5	काशीपुर	१०-५-१६५६
3	शामली	१२-४-१६५=
१०	बहेड़ी	१ <b>५-५-</b> १६५=
बिह	ार	
8	बधा	२ <i>५-४-१६</i> ५=

१ बघा २५-४-१६५५ २ हरीनगर ३०-४-१६५५ ३ चनपटिया ३-५-१६५६

(ग) केवल तीन मिलें यानी काशीपुर, शामली और बहेड़ी— मई के कुछ दिन बाद तक पेराई जारी रक्खेंगी। मिलें पूरे जोर से अपना कार्य कर रही हैं अतः इस भोर भीर अधिक प्रयत्न की भावश्यकता नहीं है।

# PAPERS LAID ON THE TABLE NOTIFICATION ISSUED UNDER ESSENTIAL COMMODITIES ACT

The Deputy Minister of Agriculture (Shri M. V. Krishnappa): Sir, on behalf of my colleague, Shri A. M. Thomas, I beg to lay on the Table, under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, a copy of each of the following Notifications:—

- (1) G.S.R. No. 217, dated the 7th April, 1958.
- (2) G.S.R. No. 218, dated the 8th April, 1958, making certain further amendment to the Punjab Rice (Movement Control) Order, 1957.
- (3) G.S.R. No. 219, dated the 8th April, 1958, making certain amendment to the Amritsar and Gurdaspur Districts Rice (Export Control) Order, 1957.
- (4) G.S.R. No. 241, dated the 15th April, 1958, making certain further amendments to the